ग्रा0वि0–06–NRLM/01-02/2026..52-57-378.....

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक–..25/02/2026

विषयः– **बिहार राज्य में महिलाओं के बीच उद्यमिता विकास हेतु "बिहार ग्रामीण परिवर्तन परियोजना (Bihar Rural Transformation Project-BRTP)–जीविका-III" के क्रियान्वयन की स्वीकृति ।**

बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण गरीबी उन्मूलन की दिशा में विश्व बैंक के सहयोग से वर्ष 2006 में एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की गई। इसके तहत राज्य में" बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति" का गठन किया गया, जिसे आम भाषा में "जीविका" की संज्ञा दी गयी है। इसके माध्यम से स्वयं सहायता समूह एवं अन्य सामुदायिक संगठनों का निर्माण तथा महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण का कार्य किया जा रहा है। जीविका द्वारा अबतक लगभग 11.03 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है, जिसमें लगभग 1 करोड़ 40 लाख से अधिक परिवारों की महिलाएं जुड़ी हैं। साथ ही 73,515 ग्राम संगठन तथा 1,684 संकुल स्तरीय संघ भी गठित किये जा चुके हैं । पिछले 20 वर्षों में स्वयं सहायता समूह से जुड़े परिवारों की महिलाओं के वित्तीय समावेशन हेतु परियोजना द्वारा चक्रीय निधि एवं प्रारंभिक निवेश निधि के रूप में लगभग 13,590 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करायी गयी है। इसके अतिरिक्त विभिन्न बैंकों के सहयोग से 10.49 लाख स्वयं सहायता समूहों के बचत बैंक खाता खोलते हुए लगभग 62 हजार करोड़ रुपये की राशि ऋण के रूप में सामुदायिक संगठनों को उपलब्ध करायी गयी है। यह राशि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के वित्तीय एवं सामाजिक सशक्तीकरण एवं उनके आय वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कृषि एवं पशुपालन से संबंधित गतिविधियों से जुड़े लगभग 40 लाख से अधिक परिवारों की महिलाओं के प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन के माध्यम से उनकी उत्पादकता एवं आय संवर्धन में सहयोग कर उन्हें स्वाबलंबी बनाया जा रहा है। महिला किसानों के द्वारा संचालित 61 उत्पादक कंपनियों के पंजीकरण के साथ उन्हें प्रोत्साहन, उत्पादों का संग्रहण तथा बाजार से उनका लिंकेज किया जा रहा है। इसके साथ ही स्वयं सहायता समुह से जुड़े परिवारों को उद्यमिता विकास, अतिरिक्त आय संवर्धन एवं रोजगार सृजन हेतु कई गैर कृषि गतिविधियां भी संचालित की जा रही है।

पूर्व में भी विश्व बैंक के सहयोग से वर्ष 2007–2016 तक बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना (Bihar Rural Livelihood Project) एवं वर्ष 2016–2023 तक Bihar Transformative Development Project (BTDP) का क्रियान्वयन किया गया है। साथ ही, वर्ष 2011 से संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का क्रियान्वयन भी जीविका द्वारा किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के काफी सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से सामुदायिक संगठनों का निर्माण, क्षमतावर्धन, वित्तीय समावेशन एवं जीविकोपार्जन से संबंधित गतिविधियों का संचालन कर ग्रामीण महिलाओं का वित्तीय एवं सामाजिक सशक्तीकरण का कार्य सम्पन्न कराया गया है।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित पूर्ववर्ती परियोजनाओं से निर्मित मजबूत सामुदायिक और संस्थागत आधार को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक नयी परियोजना "बिहार ग्रामीण परिवर्तन परियोजना (Bihar Rural Transformation Project-BRTP)–जीविका-III" की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसका उद्देश्य उत्पादकता, आय और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना तथा स्वयं सहायता समूह के द्वारा निर्मित उत्पादों में गुणात्मक वृद्धि करना है। यह लक्ष्य कृषि उत्पादों, पशुधन एवं गैर कृषि उत्पादों एवं सेवाओं का बाजार आधारित गतिविधियों से जुड़ाव कर प्राप्त किया जायेगा, जिसमे उत्पादकता संवर्धन, बाजार एवं मूल्य श्रृंखला अवसंरचनाओं (Value Chain) का विकास, ब्रांडिंग, विपणन, डिजिटल एवं वित्तीय आधार भूत संरचनाओं का विकास तथा सार्वजनिक–निजी–सामुदायिक मॉडल के माध्यम से अंतराष्ट्रीय व्यापार तथा वाणिज्य के मार्ग को प्रशस्त करना सम्मिलित है। साथ ही उद्यमिता विकास हेतु अनेक आधारभूत संरचनाओं को भी विकसित किया जाएगा। इस परियोजना के तहत मानव विकास सूचकांक (Human Development Index- HDI) के विभिन्न आयामों में सुधार की दिशा में भी कार्य किया जायेगा।

3. उक्त "बिहार ग्रामीण परिवर्तन परियोजना (Bihar Rural Transformation Project-BRTP)–जीविका-III" की समय सीमा छः वर्षों की है, जिसका क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2026–27 से किया जायेगा। इस परियोजना की कुल लागत 50.66 बिलियन जापानी येन (3000 करोड रूपये) है।

4. **परियोजना के महत्त्वपूर्ण अवयव निम्न प्रकार हैं :–**

(क.) **बहुक्षेत्रीय आर्थिक विकास के लिए स्वावलंबी सामुदायिक संस्थाओं (Resilient Community Institutions for Multisectoral Inclusive Growth) का निर्माणः–** इसके अंतर्गत जीविका सम्पोषित सामुदायिक संस्थाओं जैसे स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संगठन एवं उत्पादक कम्पनी का क्षमतावर्धन किया जायेगा एवं इस हेतु तत्संबंधी तंत्र निर्माण कर संस्थाओं एवं इनके सदस्यों की जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रचार प्रसार सामग्री भी तैयार की जायेगी। साथ ही, सदस्यों की उत्पादकता बढ़ाने के निमित मॉडल पालना घरो की स्थापना में सहयोग प्रदान किया जायेगा। इसके साथ–साथ, राज्य में प्रखंड स्तर पर सोलर मार्ट की स्थापना, सोलर उद्यमियों का क्षमतावर्धन, कृषि वानिकी के अन्तर्गत विभिन्न हस्तक्षेप किया जाना भी सम्मिलित है। इन सामुदायिक संस्थाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण हेतु नवाचारी पहल भी किया जाना है। इससे सामुदायिक संस्थाओं के सदस्यों तथा इनसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से जुड़े परिवारों को रोजगार के उन्नत अवसर प्राप्त हो सकेंगे, संस्थाओं की प्रशासन एवं वित्तीय क्षमता में सुधार हो सकेगा तथा बहुआयामी विकास हेतु संबंधित संस्थाएँ स्वावलंबी बनकर कार्य करने में सक्षम बन सकेंगी।

(ख.) **आर्थिक विकास क्लस्टर एवं उद्यमिता विकास (Growth Clusters and Enterprise Development) हेतु हस्तक्षेपः–** इस अवयव के अन्तर्गत जीविका द्वारा कृषि, पशु एवं मत्स्य संसाधन एवं गैर–कृषि आधारित प्रक्षेत्रों में विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से आर्थिक विकास हेतु विभिन्न क्लस्टरों की स्थापना करने, इनसे जुड़ें उद्यमियों एवं संस्थाओं के समग्र विकास हेतु उद्यमिता कोष का प्रावधान एवं विपणन, ब्रांडिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, आधुनिक गोदामों का निर्माण, प्रसंस्करण इकाइयों एवं कार्यशील पूंजी का प्रावधान कर राज्य में उद्यमिता विकास को प्रोत्साहित किया जायेगा।

आर्थिक क्लस्टरों में कृषि प्रक्षेत्र में सब्जी के वैल्यूचेन, सुगंधित धान, मक्का, आम एवं लीची तथा मखाना आधारित क्लस्टर सम्मिलित हैं। पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन अन्तर्गत बकरी, डेयरी, कुक्कुट, मछली एवं मधुमक्खी पालन के क्लस्टर का विकास किया जाना है। इसके साथ ही, गैर कृषि आधारित उद्यमों को भी प्रोत्साहित किया जायेगा। उद्यमिता विकास अन्तर्गत One Stop Facility (OSF)/ Incubation Centre के माध्यम से महिला उद्यमियों को उद्यम स्थापित करने के लिए तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा एवं विभिन्न आधारभूत संरचनाओं के विकास के माध्यम से उद्यमिता तंत्र को विकसित किया जाएगा। साथ ही, अनुकुलित ऋण उत्पाद भी विकसित किये जायेंगे।

(ग.) **डिजिटल और प्रौद्योगिकी तंत्र (Digital and Technology driven Ecosystem)**:– सभी महिला उद्यमियों एवं आर्थिक विकास क्लस्टर को समुचित सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा, जो विभिन्न सरकारी विभागों सहित सभी हित धारकों एवं अंतिम उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बन सके। डिजिटल और प्रौद्योगिकी तंत्र के अंतर्गत व्यापक डिजिटल आधारभूत संरचना का विकास, डिजिटल वित्तीय साक्षरता का प्रसार एवं निर्णय तंत्र की स्थापना की जाएगी, जिससे संग्रहित आँकड़ों का पेशेवर ढ़ंग से विश्लेषण करते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence-AI) आधारित रणनीति के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं को अधिक सुलभ, किफायती, लचीला बनाया जाना संभव हो पाएगा।

(घ.) **परियोजना प्रबंधन (Project Management)**:– इस अवयव के अंतर्गत समेकित रूप से परियोजना का समन्वय, कार्यान्वयन, वित्तीय प्रबंधन, पर्यवेक्षण तथा परियेाजना के कार्यान्वयन के दौरान जिला तथा प्रखंड स्तर पर प्राप्त नई जानकारियों को अपनाने व नये साझेदारों के साथ सहयोगिता बढ़ाने के कार्य निहित हैं।

इस परियोजना में परिणाम–आधारित प्रबंधन व्यवस्था को अंगीकृत किया गया है। परियेाजना की प्रगति का अनुश्रवण इससे प्राप्त परिणामों के आधार पर किया जायेगा।

5. परियोजना के अपेक्षित परिणाम निम्न है:–

(क.) **आर्थिक विकास क्लस्टर और महिलाओं और युवाओं के लिए बेहतर रोजगार एवं आय के अवसर**:– ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से जुड़े परिवारों की आय को बढ़ाने एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में आधार भूत संरचनाओं का निर्माण किया जाना है। इस परियोजना के अंतर्गत लक्षित क्षेत्रों में आर्थिक विकास क्लस्टर और उद्यम हब स्थापित किए जाएंगे, जिन से बड़ी संख्या में नए रोजगार उत्पन्न होंगे, जिनमे अधिकांश रोजगार महिलाओं और युवाओं को प्राप्त होंगे। ये हब कृषि–व्यवसाय, पशु एवं मत्स्य संसाधन एवं गैर कृषि प्रक्षेत्रों यथा पर्यटन और विनिर्माण जैसे उच्च–संभावना वाले क्षेत्रों पर केंद्रित होंगे, जिससे परियोजना अवधि में संबंधित लाभुकों की वास्तविक आय में उतरोत्तर वृद्धि होने का अनुमान है।

(ख.) **ग्रामीण उद्यमों तथा निजी क्षेत्र सहभागिता के लिए उन्नत समर्थन अवसंरचना को सुदृढ़ करना**:– परियोजना के अन्तर्गत ग्रामीण उद्यमों के लिए, सामुदायिक संगठनों द्वारा संचालित प्रमुख कृषि–अवसंरचना–जैसे गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, सीड प्लांट, प्रसंस्करण इकाइयाँ, हैचरी, चिलिंग प्लांट के साथ–साथ बाजार तक पहुँच हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी परिचालन प्रणालियों को विकसित किया जाएगा। इससे उद्यमी निजी क्षेत्र के साझेदारों के साथ काम कर सकेंगे और उनकी उत्पादकता में वृद्धि होगी।

उन्नत अवसंरचना और प्रणालियाँ बाजार तक पहुँच को बेहतर करेंगी, संचालन लागत कम करेंगी और निजी निवेश को आकर्षित करेंगी, जिससे परिवहन, वित्त तक पहुंच आदि जैसी उन बाधाओं का समाधान होगा, जिन्हें उद्यम सर्वेक्षणों में प्रमुख रूप से चिन्हित किया गया है।

(ग.) **स्वावलंबी सीएलएफ (Cluster Level Federation-CLFs): परिवार–स्तर की जरूरतें और सामुदायिक आकांक्षाएँ पूर्ण करने में सक्षमः–** परियोजना के तहत 1,000 संकुल स्तरीय संगठनों को स्वावलंबी बनाये जाने की दिशा में अग्रसारित किया जायेगा, ताकि वह संबद्ध परिवारों को सामाजिक, वित्तीय और अनुकुल पर्यावरणीय सेवाएँ सही ढंग से प्रदान कर सकेंगे। इन संकुल स्तरीय संगठनों को सम्पूर्ण वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के साथ–साथ अपने लाभ का अंश सामुदायिक सेवाओं में पुनर्निवेश किये जाने हेतु प्रेरित किया जायेगा। इसके अलावा, राज्य में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और ग्रामीण उद्यमियों तक मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल भुगतान सेवाओं की पहुँच बढ़ेगी, जिनसे डिजिटल वित्तीय सेवाओं को अपनाया जाना एवं व्यवसाय विस्तार हेतु ऋण प्राप्त करना संभव हो पायेगा।

6. इस परियोजना का कार्यान्वयन बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति द्वारा किया जायेगा।

7. राज्य सरकार द्वारा इस योजना की गतिविधियों के सम्यक संचालन हेतु 50.66 बिलियन जापानी येन (3000 करोड रूपये) का प्रस्ताव आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया था। आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव को विश्व बैंक को प्रेषित किया गया है।

8. इस परियोजना के वित्तीय भार का 70 प्रतिशत विश्व बैंक से प्राप्त ऋण द्वारा संपोषित किया जायेगा तथा शेष 30 प्रतिशत का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। विश्व बैंक से प्राप्त होने वाले ऋण की अदायगी का दायित्व राज्य सरकार का होगा। राज्य अपनी समेकित निधि से निर्धारित Repayment Schedule के अनुसार मूलधन और ब्याज की वापसी करेगा।

9. इस परियोजना की कुल लागत 50.66 बिलियन जापानी येन (3000 करोड़ रूपये) है और इसका वित्त पोषण स्रोत निम्न प्रकार है :–

स्रोत	राशि (जापानी येन में)	रुपया करोड़ में (1 रूपया = 1.689 जापानी येन)
विश्व बैंक	35.46 बिलियन	2100.00 करोड़
बिहार सरकार	15.20 बिलियन	900.00 करोड़
कुल	50.66 बिलियन	3000.00 करोड़

विश्व बैंक से जिस मुद्रा में ऋण की प्राप्ति होगी, उस मुद्रा के भारतीय मुद्रा में रूपान्तरण की दर में वृद्धि एवं ह्रास के फलस्वरूप परियोजना लागत के आकार में होने वाला अन्तर स्वीकार्य होगा।

राज्य सरकार विश्व बैंक से प्राप्त होने वाले ऋण की राशि एवं अपने अंशदान की राशि परियोजना को अनुदान स्वरूप उपलब्ध करायेगी, जिसका उपयोग परियोजना के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा इसके उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में किया जायेगा।

इस राशि का वर्षवार व्यय निम्न प्रकार अनुमानित है :–

वर्षवार अनुमानित व्यय (जापानी येन में)							
वित्तीय वर्ष	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31	2031-32	कुल
वार्षिक व्यय	5.07 बिलियन (300 करोड़ रूपये)	7.60 बिलियन (450 करोड़ रूपये)	10.13 बिलियन (600 करोड़ रूपये)	15.20 बिलियन (900 करोड़ रूपये)	7.60 बिलियन (450 करोड़ रूपये)	5.06 बिलियन (300 करोड़ रूपये)	**50.66 बिलियन (3000 करोड़ रूपये)**
Cumulative व्यय	5.07 बिलियन (300 करोड़ रूपये)	12.67 बिलियन (750 करोड़ रूपये)	22.80 बिलियन (1350 करोड़ रूपये)	38.00 बिलियन (2250 करोड़ रूपये)	45.60 बिलियन (2700 करोड़ रूपये)	50.66 बिलियन (3000 करोड़ रूपये)	**50.66 बिलियन (3000 करोड़ रूपये)**

10. इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में राशि रू0 300 करोड़ का व्यय संभावित है। इसके लिये आवश्यक उदव्यय एवं बजट उपबंध अनुपूरक के माध्यम से किया जायेगा।

11. स्वीकृत योजना हेतु पूर्व से कोई बजट शीर्ष उपलब्ध नहीं है। योजना अंतर्गत व्यय होने वाली राशि के संबंध में नया बजट शीर्ष खोलकर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

12. अतः बिहार राज्य में महिलाओं के बीच उद्यमिता विकास हेतु "बिहार ग्रामीण परिवर्तन परियोजना (Bihar Rural Transformation Project-BRTP)–जीविका-III" के क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

13. इस पर दिनांक 20.02.2026 को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मद सं–05 के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से

25/02/2026

(पंकज कुमार)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः– 5257378 पटना, दिनांक– 25/02/2026

प्रतिलिपि– ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी.डी. सहित बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि प्रकाशित राजपत्र की 100 मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय ।

25/02/2026

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः– 5257378 पटना, दिनांक– 25/02/2026

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

25/02/2026
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः– 5257378 पटना, दिनांक– 25/02/2026

प्रतिलिपि– राज्यपाल के प्रधान सचिव/ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव/ मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त/ अध्यक्ष–सह–सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार/ सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

25/02/2026
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः– 5257378 पटना, दिनांक– 25/02/2026

प्रतिलिपि– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका/ बजट शाखा, वित्त विभाग/ योजना एवं विकास विभाग/ बजट शाखा, ग्रामीण विकास विभाग/ सभी कोषागार पदाधिकारी/ सभी उप कोषागार पदाधिकारी/ सभी पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/02/2026
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः– 5257378 पटना, दिनांक– 25/02/2026

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

25/02/2026
सरकार के प्रधान सचिव